

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त गुडगांव।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

क्रमांक: आई0आर0-2/ 16831-969

दिनांक: 15.5.18

विषय: न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा उसमें दिनांक 01-01-2018 से बढ़ोतरी बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सरकार की अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 द्वारा भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-11-2015 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं। इन आंकड़ों में हुई बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती रहती है।

जैसा की उपर वर्णित है इन आंकड़ों में हुई बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् (1 जनवरी व 1 जुलाई) न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती रहती है। अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जुलाई 2017 से दिसम्बर, 2017 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत/बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है:-

| | |
|---------------|-------------|
| जुलाई, 2017 | 1104 (2385) |
| अगस्त, 2017 | 1109 (2395) |
| सितम्बर, 2017 | 1114 (2406) |
| अक्टूबर, 2017 | 1119 (2417) |
| नवम्बर, 2017 | 1121 (2421) |
| दिसम्बर, 2017 | 1113 (2404) |
| औसत | 1113 (2404) |

इस बारे यह बताया जाता है कि जून, 2017 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य 2320 था और मास दिसम्बर, 2017 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 2404 हो गया है इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 84 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 जो कि प्रथम नवम्बर, 2015 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर 100 प्रतिशत है। जिस अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत दिनांक 01-01-2018 से विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की मासिक और दैनिक वेतन में 3.62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

यहां यह भी वर्णन करना उचित होगा कि पिछली छःमाही में हुई 0.76 प्रतिशत की घटोतरी के सामंजस्य उपरान्त दिनांक 01.01.2018 से अकुशल श्रमिक के मूल वेतन पर मंहगाई भत्ता रूपये 275.12, अर्धकुशल(ए) श्रमिक के मूल वेतन पर रूपये 288.87 और कुशल(ए) के मूल वेतन पर रूपये 318.48 इतनी बढ़ोतरी हुई है। तदानुसार दिनांक 01-01-2018 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें निम्न अनुसार देय बनती हैं:-

M. Singh Dhruv


| क्रम संख्या | श्रेणी | पद/योग्यता | मूल वेतन (रु०) | 01.01.2017 से 30.06.2017 तक (रु०) | 01.07.17 से 31.12.2017 तक (रु०) | मंहगाई भत्ता 01.01.18 से लागू (रु०) | कुल वेतन (रु०) | दैनिक वेतन (रु०) |
|-------------|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | (क) | (ख) | (क+ख) | |
| 1. | अकुशल | | 7600.00 | 8280.20 | 8222.44 | 275.12 | 8497.56 | 326.82 |
| 2. | अर्धकुशल (ए) (बी) | | 7980.00 8379.00 | 8694.20 9128.91 | 8633.56 9065.23 | 288.87 303.31 | 8922.43 9368.54 | 343.17 360.32 |
| 3. | कुशल (ए) (बी) | | 8797.95 9237.85 | 9585.35 10064.62 | 9518.49 9994.42 | 318.48 334.41 | 9836.97 10328.83 | 378.34 397.26 |
| 4. | उच्च कुशल | | 9699.74 | 10567.85 | 10494.14 | 351.13 | 10845.27 | 417.12 |
| 5. | लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ | (i) मैट्रिक से कम (ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं (iii) स्नातक या उपर (iv) स्टेनो टाईपिस्ट (v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (vii) निजी सहायक (viii) निजी सचिव | 7980.00 8379.00 8797.95 8379.00 8797.95 9237.85 9699.74 10184.73 | 8694.20 9128.91 9585.35 9128.91 9585.35 10064.62 10567.85 11096.25 | 8633.56 9065.23 9518.49 9065.23 9518.49 9994.42 10494.14 11018.85 | 288.87 303.31 318.48 303.31 318.48 334.41 351.13 368.68 | 8922.43 9368.54 9836.97 9368.54 9836.97 10328.83 10845.27 11387.53 | 343.17 360.32 378.34 360.32 378.34 397.26 417.12 437.98 |
| 6. | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | | 8797.95 | 9585.35 | 9518.49 | 318.48 | 9836.97 | 378.34 |
| 7. | चालक | हल्का वाहन भारी वाहन | 9237.85 9699.74 | 10064.62 10567.85 | 9994.42 10494.14 | 334.41 351.13 | 10328.83 10845.27 | 397.26 417.12 |
| 8. | सुरक्षाकर्मी | बिना वाहन शस्त्र सहित | 7980.00 9237.85 | 8694.20 10064.62 | 8633.56 9994.42 | 288.87 334.41 | 8922.43 10328.83 | 343.17 397.26 |
| 9. | सुरक्षा निरीक्षक/ सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा सुपरवाइजर | | 9699.74 | 10567.85 | 10494.14 | 351.13 | 10845.27 | 417.12 |
| 10. | सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में | | 8100.00 | 8824.95 | 8763.39 | 293.22 | 9056.61 | 348.33 |

उपरोक्त के अतिरिक्त ईट भट्टा उद्योग के रेटस में बढ़ाव नीचे निम्न प्रकार से है:-

| क्रम सं० | कर्मचारियों का प्रवर्ग | ईट प्रति एक हजार | टाईल प्रति एक हजार |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------|
| 1. | पथेरा | 484.16 रुपये | 544.69 रुपये |
| 2. | भराई वाला (भट्टों में ईटों की भराई) | (क) 217.86 रुपये प्रति हजार ईट भट्टों में भरना परन्तु खेत से भट्टों तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 19.34 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी। (ख) एक हजार मीटर दूरी तक 179.13 रुपये प्रति हजार ईट टैम्पू या पशु चलित रहेगी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईट भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी | |

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।

नोट :- यहां यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.07.2017 के बाद दी गई मंहगाई भत्ते की राशि में घटत के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की रिकवरी/वसूली नहीं की जायेगी।



कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक : आई0आर0-2/16963-99

दिनांक: 15.5.17

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव, मु0 मंत्री को मुख्य मंत्री हरियाणा के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, श्र0 मंत्री को श्रम मंत्री हरियाणा के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव वि0 आ0 एवं प्र0 स0, को वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा, श्रम विभाग के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव श्र0अ0 को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।
5. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
6. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।
7. निदेशक, विकास पंचायत, विभाग, प्लॉट नं 3/28-ए हरियाणा चण्डीगढ़।
8. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
10. निदेशक, शहरी विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़।
11. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
12. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
13. प्रबंधक निदेशक, हरियाणा डेयरी विकास निगम, पंचकुला।
14. प्रबंधक निदेशक, हैफेड, हरियाणा, पंचकुला।
15. आयुक्त, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।
16. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, हरियाणा, पंचकुला।
17. सभी जिला उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
18. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य), हरियाणा, चण्डीगढ़।
19. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग), हरियाणा, चण्डीगढ़।
20. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला।
21. मुख्य वनपाल, हरियाणा, पंचकुला।
22. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
23. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पंचकुला।
24. सभी अधिकारी, (मुख्यालय)
25. आई0टी0 अनुभाग।


कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

Regulatory ALERT

16th May 2018

Regulatory ALERT



TeamLease is uniquely positioned to address the requirements in the domain of regulatory and labour law compliances. At TeamLease, our key focus is to translate the knowledge on upcoming developments in the area of Labour Law Compliances.

We thought one such way to solve that is through our, "Regulatory ALERT" system. This will provide information on recent regulatory changes happened in Labour Laws and also explains the implications and says how to implement those changes in order to make the regulatory functioning Smooth.

We had extended this platform to all our esteemed clients to create awareness on these changes in regulatory functioning so as to ensure complied in all Labour Law related areas.

Regulatory ALERT

16th May, 2018



Notifications and Circulars..,

Title: Revision in the Minimum Wages for the state of ORISSA .

Description: Haryana State has revised the Minimum Wages for category of employees covered under, "Haryana Shops and Establishment Act" and this is effective from 01st January, 2018.

Notified on : **15th May 2018.**

Applicability: Applies to all Shops, Commercial Establishment in the **state of Haryana.**
This notification will have effect from 01st January, 2018.

Regulatory ALERT

16th May, 2018



Team Lease Views Points and Required Actions:

| Schedule Employment | Highly Skilled | Skilled (B) | Skilled (A) | Semi Skilled (B) | Semi Skilled (A) | Unskilled |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| Basic | 10,494 | 9,994 | 9,518 | 9,065 | 8,634 | 8,222 |
| DA | 351 | 334 | 318 | 303 | 289 | 275 |
| Gross Monthly | 10,845 | 10,329 | 9,837 | 9,369 | 8,922 | 8,498 |
| Daily Wages | 417 | 397 | 378 | 360 | 343 | 327 |

| Schedule Employment | Data Entry Operator | Driver | | Security Guard | | Security Inspector/Security Officer/Security Officer | Safai Karamchari in any employment |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--|------------------------------------|
| | | Light Vehicle | Heavy Vehicle | Without Weapon | With Weapon | | |
| Basic | 9,518 | 9,994 | 10,494 | 8,634 | 9,994 | 10,494 | 8,763 |
| DA | 318 | 334 | 351 | 289 | 334 | 351 | 293 |
| Gross | 9,837 | 10,329 | 10,845 | 8,922 | 10,329 | 10,845 | 9,057 |
| Daily Wages | 378 | 397 | 417 | 343 | 397 | 417 | 348 |

| Schedule Employment | Clerical and General Staff | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 1. Below Martication | 2. Martication but not graduate | 3. Graduate and above | 4. Steno Typist | 5. Junior Scale Stanographer | 6. Senior Scale Stanographer | 7. Personal Assistant | 8. Private Secretary |
| Basic | 8,634 | 9,065 | 9,518 | 9,065 | 9,518 | 9,994 | 10,494 | 11,019 |
| DA | 289 | 303 | 318 | 303 | 318 | 334 | 351 | 369 |
| Gross | 8,922 | 9,369 | 9,837 | 9,369 | 9,837 | 10,329 | 10,845 | 11,388 |
| Daily | 343 | 360 | 378 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438 |

Overall, There is almost 15% increase on the Minimum Wages for employers in Haryana and further we advice all employers in Haryana to look in to the existing salary structure and make the necessary adjustments wherever required in ordered to adhere and comply with Act.